जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0–02/2014–15

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
19-5-17	आज अभिलेख उपस्थापित किया गया। उक्त अभिलेख मौजा–हीरापुर, मौजा सं0–7, खाता सं0– 136, प्लॉट सं0–92, रकवा–1.10 एकड़ भूमि गतसर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि पर जमाबंदी सं0–364 में शंकर दयाल सिंह, पिता– स्व0 गयादीन सिंह के नाम से संदिग्ध रूप से कायम रहने के संबंध में अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा अनुशंसा सहित अभिलेख के माध्यम से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के न्यायालय में भेजा गया है। इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद द्वारा जमाबंदी रैयत के वंशज को विधिवत् नोटिश निर्गत कर वाद की सुनवाई की गई है। उनके द्वारा सुनवाई के क्रम में निम्नलिखित आदेश अंकित किया गया है– उपायुक्त, धनबाद को संबोधित आवेदन दिनांक–31.08.2012 के आलोक में वरीय पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग, धनबाद द्वारा निर्गत पत्रांक–2244, दिनांक–05.05.2012 के क्रम में अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा विधि सम्मत आदेश की अपेक्षा से पत्रांक–833, दिनांक–10.07.2014 के साथ संलग्न कर अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में जमाबंदीदार को सूचित कर वाद की सुनवाई की गयी। सूचना ज्ञापांक–2209, दिनांक–17.12.2012 के आलोक में कागजात की छायाप्रति के साथ–साथ लिखित एवं मौखिक पक्ष एवं बहस प्रस्तुत करते हुए जमाबंदीदार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप गलत एवं निराधार है तथा निजी स्वार्थवश दुर्भावना से प्रेरित होकर परिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है। प्रश्नगत् भूमि सरकार में निहित भूमि नहीं है, बल्कि भूतपूर्व जमींदार से बंदोवस्त प्राप्त रैयती भूमि है। जिसे इनके पिताजी ने वर्ष 1944 में प्राप्त किया था, जो जमींदारी उन्मूलन के पूर्व वर्ष 1950–51 तक का लगान भूतपूर्व जमींदार को भुगतान कर जमीन पर दखलकार रहते आये थे। बंदोवस्त प्राप्त भूमि पर लगभग 6 पक्के मकान का निर्माण कराकर उसके नगरपालिका टैक्स का भुगतान किया गया था एवं उन मकानों में सरकारी कर्मचारी किराया का भुगतान कर रहा करते थे, जिसे बाद के वर्षों में सरकार द्वारा मुक्त किया गया। इनके पिताजी ने सरकारी सिरिस्ता में वाद सं0–85(11)/1953–54 से अपना दाखिल–खारीज कराकर जमाबंदी सं0–364 में लगान का भुगतान करना प्रारंभ किया एवं पिताजी की मृत्यु के पश्चात् उनके 3 पुत्रों का नामांतरण कर उनसे लगान की वसूली प्रारंभ की गयी एवं वर्ष 2011–12 तक के लगान की वसूली की गयी है। इनके द्वारा अपने दखल के 1.10 एकड़ भूमि के पूर्वी ओर 14 डिसमिल भूमि शेष रहने का उल्लेख किया गया है, जिसका लगान जमाबंदी सं0–364 में वसूल किया जाता है। प्रश्नगत् भूमि के संबंध में दिनांक–09.08.2006 को अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा	

पारित आदेश अपने जमाबंदी सं0–364 से ही संबंधित रहने का उल्लेख कर उक्त आदेश की प्रति भी जमाबंदीदार की ओर से प्रस्तुत की गयी तथा वर्णित सड़क का निजी उपयोग बंदोवस्ती पर आधारित रहने एवं इसका आम उपयोग नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए अभिलेख की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता द्वारा भूमि को सरकार में निहित रहने, इसकी बंदोवस्ती को अवैध बताते हुए भूमि के संबंध में स्वत्व वाद एवं अपील का निर्णय पारित रहने के बावजूद उक्त वाद में सरकार के पक्षकार नहीं रहने की स्थिति में उनका कोई प्रभाव सरकार के प्रतिकुल नहीं पड़ने का उल्लेख करते हुए इस प्रकार के मामले में प्रभावी एवं लागू सरकारी परिपत्र की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

पक्षकारों को सुनने एवं प्रस्तुत कागजात के परिशीलन से ज्ञात होता है कि जमाबंदी सं0–364 में शंकर दयाल सिंह के नाम बिना किसी खाता सं0, प्लॉट सं0 अथवा स्पष्ट रकवा का उल्लेख के ही लगान रसीद निर्गत गया तथा दिनांक–26.06.1967 को निर्गत प्रथम लगान रसीद में वर्ष 1967–68 का लगान वसूल करने के बावजूद पुनः वर्ष 1967–68 एवं वर्ष 1968–69 के लगान की वसूली की गयी वही वर्ष 1964 में जगदीश प्रसाद चौहान से नगरपालिका कर वसूल किये जाने का भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा बाद के वर्षों में पुनः जमाबंदी सं0–364 से ही जगदीस प्रसाद चौहान एवं अन्य के नाम लगान वसूली का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुत विविध वाद सं0–7(11)/2005–06 में दिनांक–09.08.2006 का पारित आदेश्च के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि जमाबंदी सं0–364 कायम किये जाने संबंधी किसी आदेश के अभाव में उक्त जमाबंदी को स्थगित किये जाने की अनुशंसा अंचल निरीक्षक द्वारा की गयी थी तथा विपक्षीगण को प्रश्नगत् प्लॉट के आंशिक रकवा का व्यवहार सड़क के रूप में करने का आदेश स्वत्व वाद में पारित किया गया था किन्तु उक्त आदेश में दाखिल खारीज वाद सं0–85(11)/53–54 अथवा जगदीश प्रसाद चौहान के नाम लगान रसीद निर्गत किये जाने संबंधी किसी आदेश का विवरणी अंकित नहीं है बल्कि दिनांक–09.08.2006 को पारित आदेश में इस बात का उल्लेख है कि स्वत्व वाद सं0–57/88 में शंकर दयाल सिंह के 3 पुत्रों के नाम लगान वसूल किये जाने का विवरण अंकित है। तद्नुसार राजस्व कर्मचारी को शंकर दयाल सिंह के तीनों पुत्र के नाम पर लगान वसूली का निदेश दिनांक–09.08.2006 को पहली बार दिया गया।

स्पष्टतः जमाबंदी सं0–364 कायम किये जाने संबंधी किसी आदेश के वगैर वर्ष 1967–68 से लगान की वसूली की गयी एवं बिना किसी उत्तराधिकार नामांतरण के अनुवर्ती वर्षों में जगदीश प्रसाद चौहान से लगान की वसूली करते रहने के पश्चात् विविध वाद में दिनांक–09.08.2006 को पारित आदेश एवं सक्षम दीवानी न्यायालय के आदेश का उद्धरण प्रस्तुत कर बिना किसी उत्तराधिकार दाखिल खारीज आदेश के ही शंकर दयाल सिंह के तीन उत्तराधिकारियों से

लगान वसूल किये जाने का आदेश प्राप्त किया गया जबकि स्वत्व वाद में जमाबंदी में किसी प्रकार का संशोधन किये जाने का कोई आदेश नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सरकारी भूमि के संबंध में बिना किसी सक्षम आदेश के वर्ष 1967–68 से तथाकथित ढ़ंग से कायम कराये गये संदिग्ध जमाबंदी में बिना किसी सक्षम आदेश के ही पुनः जगदीश के दौरान गलत तथ्य एवं कागजात प्रस्तुत कर अंचल अधिकारी, धनबाद से आदेश प्राप्त किया गया जिसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है।

उल्लेखनीय है कि स्थानीय नागरिक के विवाद की जाँच कर विपक्षीगण के उपयोग वाले सड़क को पूर्व की भाँति व्यक्तिगत् उपयोग में रहना प्रतिवेदित यिका गया है एवं चाहरदिवारी के अंदर वाले सड़क को सार्वजनिक उपयोग का नहीं ठहराया गया। दिवानी न्यायालय के आदेश के हवाले से सड़क के व्यक्तिगत् उपयोग संबंधी विवरण विविध वाद में दिनांक–09.08.2006 को पारित आदेश में भी किया गया है।

अतः गैर आबाद खाता की भूमि के लिए बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व कर्मचारी के मेल से कायम कराये गये जमाबंदी सं0–364 जिसके संबंध में वर्ष 2006 में गलत तथ्य एवं कागजात प्रस्तुत कर विपक्षी द्वारा अपना नाम दर्ज कराने में सफलता हासिल किया गया है कि साथ–साथ इस जमाबंदी से खारिज कर कायम किये गये सभी अनुवर्ती जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी, धनबाद, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा की गई विवेचना एवं अनुशंसा से सहमत होते हुए मौजा–हीरापुर, मौजा सं0–07, खाता सं0–136, प्लॉट सं0–92, रकवा–1.10 एकड़ गैर आबाद खाता की भूमि के लिए बिना किसी सक्षम आदेश के कायम करायी गई जमाबंदी सं0–364 एवं उसके अनुवर्ती कायम की गई जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा सरकारी परिपत्र सं0–914, दिनांक–09.12.1989 के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है।

अभिलेख अनुमोदन हेतु उपायुक्त, धनबाद के न्यायालय में भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
धनबाद।

अपर समाहर्त्ता,
धनबाद।